संख्या-163/2015/424आ.न.यो./9-8-15-13ज/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-बिलारी,
जनपद-मुरादाबाद ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2015

विषयः- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद में सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने हेतु कार्ययोजना/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री मो0 इरफान एडवोकेट मा0 विधायक के दिनांक 08.01.2015 **(प्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद की आबादी 60,000 हजार से अधिक है एवं लाइट पूरी न मिलने के कारण छात्रों की पढाई, कूटीर उद्योग, बुनकर उद्योग प्रभावित है। अत: 100 केवीए का सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2; इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री मो0 इरफान एडवोकेट मा0 विधायक के पत्र में किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या- एम-47/9-8-2014-124ज/2014 दिनांक 26.11.2014 **(प्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना किये जाने हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy, Govt of India) के द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों पर कार्ययोजना का आगणन तैयार कराकर निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रस्ताव/कार्ययोजना शासन को **<u>एक सप्ताह</u>** के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत् विगत वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्ययोजना के साथ संलग्न किया जाय तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण किये जाने के पश्चात फोटोग्राफ संलग्न किया जाय, जिसमें कार्य प्रारम्भ होने

http://shasanadesh.up.nic.in

के समय का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात का फोटोग्राफ संलग्न होना चाहिए।

यदि वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण न किये गये हों तो प्रेषित किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में 75 प्रतिशत से अधिक कार्यो के पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. के साथ संलग्न किया जाय।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यो की विधिवत टेक्नीकल एवं फिजिकल ड्राइंग उपलब्ध करायी जाय।

(3) कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कार्य स्थल पर कोई विवाद न हो अन्यथा उक्त कार्य के सापेक्ष स्वीकृत कार्य की धनराशि का कहीं अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सकेगा एवं उक्त धनराशि राजकोष में वापस करनी होगी।

(4) शासन को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली डी.पी.आर/कार्ययोजना के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय :-

आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रेषित की गयी कार्ययोजना के प्रस्तावित कार्य **" उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है"**

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in